सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 31/2018 दायर दिनाँक 30.01..2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. देवलीदेवी पत्नी स्वर्गीय देवाराम, उम्र—68साल, 2. राजेश पुत्र स्वर्गीय देवाराम, उम्र—26साल, समस्त,जाति—रेगर, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2.बिदामी पत्नी स्वर्गीय हनुमानाराम, 3.सुजाराम पुत्र स्वर्गीय हनुमानाराम, 4.शारदादेवी पत्नी स्वर्गीय मोहनाराम, 5.धर्माराम पुत्र स्वर्गीय मोहनाराम, समस्त,जाति—रेगर, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 16.07.2018

शरहद मौजा तोषीणा के खेत खसरा संख्या 714 रकबा 01.05 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के बीच घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादीगण का वाद दिनाँक 05.06.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने जरिये हल्का पटवारी तोषीणा व भू—अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनाँक 21.06.2018 के जरिये विभाजन प्रस्तावित किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 31/2018
दायर दिनाँक 30.01.2015, निर्णय दिनाँक 16.07.2018
देवलीदेवी, वगैरा बनाम् तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् सहमत हैं। उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक, शरहद तोषीणा के खसरा नम्बर 714 रकबा 01.05 बीघा में लाल स्याही से दर्शित क्षेत्रफल जिसको मार्क "बी" से प्रदर्शित किया गया है, भाग पर वादीगण का कब्जा है व शेष भाग जिसको मार्क "ए" से प्रदर्शित किया गया है, भाग पर अन्य लौगों का कब्जा है।

बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 21.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा तोषीणा के खेत खसरा संख्या 714 रकबा 01.05 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 21.06.2018 में वर्णितानुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 21.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **16.07.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
आज अदालत:-- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 31/2018 दायर दिनाँक 30.01..2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. देवलीदेवी पत्नी स्वर्गीय देवाराम, उम्र-68साल, 2. राजेश पुत्र स्वर्गीय देवाराम, उम्र-26साल, समस्त,जाति-रैगर, निवासी-तोषीणा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2.बिदामी पत्नी स्वर्गीय हनुमानाराम, 3.सुजाराम पुत्र स्वर्गीय हनुमानाराम, 4.शारदादेवी पत्नी स्वर्गीय मोहनाराम, 5.धर्माराम पुत्र स्वर्गीय मोहनाराम, समस्त,जाति-रेगर, निवासी-तोषीणा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक 16.07.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादीगण** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा तोषीणा के खेत खसरा संख्या 714 रकबा 01.05 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 21.06.2018 में वर्णितानुसार, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 21.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........-.......... मुबलिंग............-............... बाबत.......... ....-....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........-.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.07.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	—		महनताना वकील		
सबूत	—		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–31 / 2018 / रीडर / 2018 / 692 दिनाँक 19-8-18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः– ~~प्राथमिक~~ निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. देवलीदेवी पत्नी स्वर्गीय देवाराम, उम्र–68साल, 2. राजेश पुत्र स्वर्गीय देवाराम, उम्र–26साल, समस्त, जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. बिदामी पत्नी स्वर्गीय हनुमानाराम, 3. सुजाराम पुत्र स्वर्गीय हनुमानाराम, 4. शारदादेवी पत्नी स्वर्गीय मोहनाराम, 5. धर्माराम पुत्र स्वर्गीय मोहनाराम, समस्त, जाति–रेगर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित ~~प्राथमिक~~ निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प तोषीणा

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 31/2018 दायर दिनाँक 25.01.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. देवली देवी पत्नी स्व0 देवाराम 2. राजेश पुत्र स्व0 देवाराम जाति रेगर निवासीगण तोषीणा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. बिदामी पत्नी स्व0 हनुमानाराम 3. सुजाराम पुत्र स्व0 हनुमानाराम 4. शारदादेवी पत्नी स्व0 मोहनाराम 5. धर्माराम पुत्र स्व0 मोहनाराम समस्त जाति रेगर निवासीगण तोषीणा तहसील डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री पूरणसिंह बोहरा अधिवक्ता, वादी।

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनाँक 05.06.2018

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तोषिणा के खसरा संख्या 714 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा है जिसकी खातेदारी वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 के पूर्वजों के नाम खातेदारी व काबिज काश्तकार रहे है। वादीगण देवली व राजेश के बंट व हिस्से की भूमि वाके सरहद तोषीणा के खसरा सं0 714 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में से दक्षिणी दिशा की तरफ 15 बिस्वा भूमि है तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 बिदामी, सुजाराम, शारदा देवी, धर्माराम के बंट व हिस्से की भूमि वाके सरहद तोषीणा के खसरा सं0 714 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा में से पश्चिमी व पूर्वी दिशा की तरफ 10 बिस्वा भूमि बंट व हिस्से में है।

प्रार्थना वादीगण है कि वाके सरहद तोषीणा के खसरा सं0 714 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा का बंटवारा व कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 के बीच बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर घोषणा खातेदारी में नाम अमल दरामद की जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया जावें तथा खातेदारी में दर्ज स्व0 मोहनराम तथा स्व0 हनुमानाराम पुत्रगण स्व0 मांगुराम जाति रेगर का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 05 का नाम दर्ज किया जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 31 / 2018
दायर दिनाँक 25.01.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 05.06.2018
देवली बनाम तहसीलदार वगैरा।

वादीगण न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**तोषीणा** में पत्रावली पेश हुआ। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण उपस्थित है। पक्षकारान् को सुना गया। वादीगण का वाद बंटवारा से संबंधित है।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वाद वादीगण प्राथमिक, डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व साक्ष्यों के मद्दे नजर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर, प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा सरहद तोषीणा के खसरा सं0 714 रकबा 01.05 बिस्वा का वादीगण व प्रतिवादीगण स0 02 ता 05 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **05.06.2018** को न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प तोषीणा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner